<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज)</u>

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 120/2024 दायर दिनांक: 12.09.2024

उनवान

1. जतनबाई पत्नी जगदीश जाति ब्राह्मण नि. माथनिया तहसील रायपुर
2. राजेन्द्रकुमार पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण नि. माथनिया तहसील रायपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. दिनेश पुत्र छितरलाल जाति नाई नि. माथनिया तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर

अप्रार्थीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति विद्वान अभिभाषगण :–
वादी :– श्री विनोद शर्मा
प्रतिवादी सं. 1 :– श्री प्रेमचन्द चौधरी
प्रतिवादी सं. 2 :– पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनाक : 01.04.2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि यह कि ग्राम माथनिया पटवार हल्का माथनिया भू०अमि०नि० कालीतलाई तह० रायपुर की जमाबन्दी सम्वत 2031–2033 में खसरा नं. 455/569 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा आराजी अप्रार्थीगण गणपत पुत्र जगनाथ के नाम दर्ज है परन्तु रोटेशन जमाबन्दी के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के दौरान सम्वत 2034–2036 जमाबंदी में त्रुटिवश खसरा नं. 445/1569 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा दर्ज हो गई जो दुरुस्त होकर खसरा नं. 455/1569 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा दर्ज होना आवश्यक है। यह कि गणपत पुत्र जगनाथ की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके पुत्र छितरलाल की भी मृत्यु हो चुकी है तथा वर्तमान जमाबंदी 2074–2077 खाता संख्या 125 में अप्रार्थीगण के नाम खाते में दर्ज है। यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण [illegible] पर अपनी–अपनी खातेदारी की आराजी पर [illegible] प्रार्थीगण के नाम उक्त खसरा नं. 1788/445 दर्ज है जो सही है [illegible] के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:45:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज खसरा नं. 445/1569 के बजाय 455/1569 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा दुरुस्ती होने लायक है। यह कि राजस्व रिकार्ड में नक्शे में खसरा नं. 1788/445 तथा खसरा नं. 436 के बीच खसरा नं. 445/1569 गलत दर्ज हो रहा है जबकि मौके पर 1788/445 के पास खसरा नं. 436 है राजस्व रिकार्ड में नक्शा तरभीम होने योग्य है। यह कि उपरोक्त दर्ज राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज के दौरान राजस्व कर्मचारी की भुल की वजह से रही है या दर्ज हुई है। जो न्यायहित में दुरुस्त योग्य है। यह कि प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी तथा कानूनगो से उक्त संबंध में दुरुस्ती के लिये कहा तो उन्होने माननीय न्यायालय में यह कार्यवाही करने की सलाह दी इस कारण यह प्रार्थना पत्र सादर पेश किया है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम माथनिया पटवार हल्का माथनिया भू०अभि०नि० कालीतलाई तह० रायपुर जिला झालावाड़ राज. की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खसरा नं. 1788/445 की जगह खसरा नं. 455/1569 संशोधन किया जावे तथा इसी प्रकार राजस्व नक्शे में भी खसरा नं. 455/1569 वर्तमान में गलत दर्ज को पुराने स्थान पर संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 5 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 6 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 7 कानूनी है। अतः इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम माथनिया पटवार हल्का माथनिया भू०अभि०नि० कालीतलाई तह० रायपुर जिला झालावाड़ राज. की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खसरा नं. 1788/445 की जगह खसरा नं. 455/1569 संशोधन किया जावे तथा इसी प्रकार राजस्व नक्शे में भी खसरा नं. 455/1569 वर्तमान में गलत दर्ज को पुराने स्थान पर संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:45:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा (झालावाड़)

Scanned with OKEN Scanner

3. अप्रार्थी सं. 2 पेरोकार सरकार द्वारा पत्रांक 856 दिनांक 06.11.2024 से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण जतनबाई पत्नि जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी माथनिया द्वारा श्रीमान के कार्यालय उपखण्ड पिड़ावा में प्रार्थना पत्र पेश किया है कि ग्राम माथनिया के खसरा सं. 445/1569 के स्थान पर 455/1569 एवं इसकी तरमीम शुद्धि हेतु निवेदन किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच पटवारी हल्का माथनिया से करायी गई है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अप्रार्थीगण दिनेश पुत्र छीतरलाल जाति नाई के खसरा नं. 445/1569 के स्थान पर 455/1569 किया जाना उचित होगा एवं खसरा सं. 445/1569 की तरमीम खसरा सं. 1788/445 के समीप से हटाकर खसरा संख्या 455/1569 की तरमीम खसरा सं: 455 की पश्चिम दिशा में की जाने की अनुशंषा की जाती है। ख.नं. 445/1569 के स्थान पर 455/1569 किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

4. अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम माथनिया की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 433, 125 की नकल, नक्शा ट्रेस दिनांक 08.08.2024, लटठा नक्शा दिनांक 06.11.2024, खसरा गिरदावरी की प्रमाणित नकले एवं आनलाईन खसरा नक्शा, ग्राम माथनिया का खाता सं. 86 जमाबंदी सं. 2031–34, खाता सं. 43 जमाबंदी सं. 2034–37, भू.प्रबंध विभाग की जमाबंदी खाता सं. 85, 140 की नकल छायाप्रतियां पेश की।

5. अभिभाषक उभयपक्ष व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम माथनियां की वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नं0 445/1569 रकबा 1–14 बीघा यानी 0.43 हैक्ट0 अप्रार्थी क्रम 1 दिनेश पुत्र छीतरलाल नाई के खाते एवं खसरा नं0 1788/445 रकबा 0.2782 हैक्ट0 प्रार्थीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी की आराजी हाल खसरा सं0 445/1569 रकबा 1–14 बीघा मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् 2022–41 एवं जमाबन्दी संवत् 2030–33 गणपत पुत्र जगन्नाथ नाई खाते दर्ज थी जिसका खसरा नं0 455/1569 रकबा 1–[illegible] संवत् 2034 से 37 की रोटैशन जमाबन्दी बना[illegible] गम्भीर लापरवाही करते हुवे खातेदार गणपत [illegible] आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:45:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा (झालावाड़)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

का खसरा नं0 455/1569 से बदलकर 445/1569 कर दिया गया और रकबा यथावत रखा गया। खातेदार गणपत की मृत्यु के बाद भूमि उनके पुत्र छीतर लाल और छीतरलाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अप्रार्थी क्रम 1 दिनेश के खाते दर्ज हुई। अप्रार्थी क्रम 1 दिनेश ने भी इकबाली जवाब पेश कर उक्त भूमि के खसरा नम्बर के संशोधन की संहमति व्यक्त की है। अतः राजस्व कार्मिकों द्वारा गलत तरिके से किए गये खसरा के नम्बर परिवर्तन को दुरुस्त किया जावे। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि मूल लट्ठा नक्शा में अप्रार्थी क्रम 1 की भूमि खसरा नं0 445/1569 खसरा नं0 455 के लगवा स्थित थी लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान तहसील को ऑनलाईन करते समय राजस्व कार्मिकों ने ऑनलाईन नक्शे में विधि विरुद्ध रुप से परिवर्तन कर उक्त खसरा नं0 445/1569 को खसरा नं0 1788/445 एवं खसरा नं0 436 के बीच में तरमीम कर दी गई। अप्रार्थी का मौके पर आज भी कब्जा खसरा नं. 455 से लगवा है जबकि प्रार्थीगण का कब्जा खसरा नं. 436 के लगवा पश्चिम दिशा में चला आ रहा है। अतः राजस्व कार्मिकों द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थीगण के राजस्व नक्शे में की गई त्रुटी को दुरुस्त किया जावे।

6. अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ने बहस के दौरान अपने इकबाली जवाब दिनांक 08.10.2024 में अंकित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोषो को स्वीकार किया गया।

7. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी दिनेश पुत्र छीतरलाल नाई के हाल खसरा नं0 445/1569 के स्थान पर खसरा नं. 455/1569 किया जाना उचित होगा और खसरा नं0 445/1569 की तरमीम खसरा नं0 1788/445 के समीप से हटाकर खसरा नं0 455 की पश्चिम दिशा में किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

8. अभिभाषकगण उभयपक्ष व पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम माथनिया की [illegible] विभाग की जमाबन्दी सवत् 2022—41 के अनुसार खसरा नं0 445/1569 ... रकबा 1—14 बीघा गणपत पुत्र जगन्नाथ नाई के खाते दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:45:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

माथनियां की जमाबन्दी संवत् 2030–33 के अनुसार भी खसरा नं0 455/1569 रकबा 1–14 बीघा गणपत पुत्र जगन्नाथ नाई के नाम दर्ज था। लेकिन जमाबन्दी संवत 2034–37 के अनुसार खसरा नं0 445/1569 रकबा 1–14 बीघा गणपत पुत्र जगन्नाथ नाई के खाते दर्ज थी। अतः स्पष्ट है कि जमाबन्दी सवत् 2030 से 33 के बाद अगली चौसाला जमाबन्दी सवत् 2034 से 37 बनाते समय तत्कालीन राजस्व कार्मिकों द्वारा खातेदार गणपत पुत्र जगन्नाथ नाई के खाते की भूमि खसरा नं0 455/1569 रकबा 1–14 बीघा किस्त चाही सोयम 1–6 बीघा बीड प्रथम 8 बिस्वा की जगह नया खसरा नं0 445/1569 रकबा 1–14 बीघा किस्त चाही सोयम 1–6 बीघा बीड प्रथम 8 बिस्वा दर्ज कर दिया गया। अगली चौसाला जमाबन्दी संवत् 2034–37 में खसरा नं0 के अंकन में हुई उक्त त्रुटी प्रथम दृश्यष्टा लिपिकीय/टाईपिंग त्रुटी जाहिर होती है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–78 दिनांक 08.10.2024 में भी उक्त भूमि गणपत पुत्र जगन्नाथ के वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 के खाते यथावत दर्ज चली आ रही है। अतः राजस्व कार्मिकों द्वारा की गई उक्त त्रुटी एक छोटी सी सामान्य लिपिकीय त्रुटी को धारा 136 एलआर एक्ट में दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। उक्त दुरुस्त किये जाने पर अप्रार्थीक्रम 1 एवं अप्रार्थी क्रम 2 पैरोकार सरकार भी सहमत है।

9. प्राथीगण द्वारा पेश ऑनलाईन खसरा नंक्शा के अनुसार वर्तमान ऑनलाईन नक्शे मे अप्राथी क्रम 1 की आराजी खसरा नं0 445/1569 प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 1788/445 के पूर्व दिशा में एवं खसरा नं. 436 की पश्चिम दिशा में लगवा एक पट्टी के रुप में स्थित है। जबकि पैरोकार सरकार द्वारा पेश ग्राम माथनियां के लट्टा नक्शा की प्रमाणित प्रति दिनांक 06/11/2024 एवं प्रार्थी द्वारा पेश नजरी नक्शा की प्रतिलिपि क्रमांक 353 दिनांक 08.08.2024 के अवलोकन अनुसार अप्रार्थी का खसरा नं0 455/1569 खसरा नं. 455 के लगवा पश्चिम दिशा में व खसरा नं0 320/1449 के लगवा दक्षिण दिशा में आयताकार रुप में था। अभिभाषक प्राथीगण का कथन है कि हाल खसरा नं0 445/156[illegible] को [illegible]रा नं0 455 के पास से हटाकर सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व द्वारा ल[illegible]ाही करते हुवे प्रार्थीगण के खसरा नं0 1788/445 एवं 436 के मध्य [illegible] कर दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:45:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

है। जबकि उभयपक्ष की मौके पर पूर्ववत सही जगह पर चला आ रहा है। पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर ने भी स्वीकार किया है कि लट्ठा नक्शा में खसरा नं0 445/1569 रकबा 1–14 बीघा, खसरा नं 455 पश्चिम दिशा में है। अतः खसरा नं. 445/1569 की तरमीम खसरा नं. 1788/445 के पूर्व दिशा से हटाकर खसरा नं0 455 की पश्चिम दिशा में किया जाना उचित होगा।

10. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रुटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम माथनिया के खसरा नम्बर 455/1569 एवं ख. नं. 1788/445 में सेग्रीगेशन के दौरान त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई जिसे धारा 131 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:45:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(9)

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम माथनिया के खसरा नम्बर 445/1569 एवं ख.नं. 1788/445 के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम माथनिया के हाल खसरा नम्बर 445/1569 रकबा 1—14 बीघा यानी 0.43 हैक्ट0 को दुरुस्त कर ख.नं. 455/1569 रकबा 1—14 बीघा किये जाने तथा राजस्व नक्शे में हाल ख.नं. 445/1569 की तरमीम मूल लट्ठा नक्शा एवं तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/4/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:45:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner